दिनांकः 11.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या कर देने की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरणः- अवगत कराना है कि दिनाँक 09.05.2025 को समय करीब 23.45 बजे वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग बहन उम्र करीब 10 वर्ष घर से समय करीब 07 बजे खेलने के लिये निकली थी, अभी तक वापस नही आने पर काफी खोजबीन के बाद नही मिलने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 186/25 धारा 137(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह के सुपुर्द की गयी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल टीमे गठित कर गुमशुदा बच्ची को खोजने का भरसक प्रयास किया गया। दिनांक 10.05.2025 को समय करीब 09 बजे थाना सदर बाजार को सूचना प्राप्त हुई कि एक लडकी उम्र करीब 10 वर्ष का शव पडा हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी मय फोर्स के तत्काल मौके पर पहुचे और शव का कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर मे भिजवाया गया। घटना के सम्बन्ध मे अमजद अली द्वारा अभियुक्त वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश उर्फ वेदा पुत्र जयसिंह निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर के विरूद्ध नाबालिग के साथ गलत काम करने के बाद हत्या कर शव को छिपाने की सूचना के सम्बन्ध मे लिखित प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1),65(2),238(ख) बी0एन0एस0 व 5/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ,द्वारा तत्काल घटना का सज्ञान लेकर नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या की घटना में वाछित **अभियुक्त वेदपाल उर्फ बेदप्रकाश उर्फ बेदा पुत्र जयसिंह धीमान निवासी इन्द्रा कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** को विश्वकर्मा चौक पेपर मिल रोड भटटा कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश उर्फ बेदा पुत्र जयसिंह धीमान निवासी इन्द्रा कालौनी थाना सदर बाजार, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राय सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुन्दर सिहं थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 चंचल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. है0का0 450 विकास सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. का0 1565 विनय कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

दिनांकः 11-05-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित / वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11/05/2025 को वारण्टी अभियुक्त **दीपक कुमार पुत्र महेश शर्मा निवासी ग्राम केरटू थाना झिझांना जनपद शामली** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बीनपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट वाद स0 147/2025 धारा 420,406,376 भा0द0वि0 सम्बन्धित मु0अ0स0 177/2024 चालानी थाना गगोह सहारनपुर जारी किया गया था । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पताः-

दीपक कुमार पुत्र महेश शर्मा निवासी ग्राम केरटू थाना झिझांना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 258 श्री अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 श्री अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक:11-05-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.05.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त फरजन पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 64(1) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी तीतरो के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 11.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे त्वरित कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामलें में फरार चल रहे **वांछित अभियुक्त फरजन पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम कोलाखेड़ी थाना तीतरों जनपद सहारनपुर को मौहल्ला शेखजादगान कस्बा तीतरो** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फरजन उर्फ फरजान्दा पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम कोलाखेडी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री निप्पी सिंह थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरो जनपद सहारनपुर
3. म0है0का0 946 योगिता, थाना तीतरो जिला सहारनपुर

दिनांक:11-05-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित / वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.05.2025 को स्थाई **वारण्टी कृष्णालाल पुत्र आसाराम निवासी ग्राम बान्दूखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद सं0 1077/1994 धारा 7/16 खाद अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर निर्गत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर को ग्राम बान्दूखेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कृष्णालाल पुत्र आसाराम निवासी ग्राम बान्दूखेडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामकुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 416 कपिल कर्दम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 563 अमित कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक:11-05-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 शातिर लूटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4320/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 05.03.2025 को वादी श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के घर से वादी की पत्नी व पुत्रवधु के कान के 02 जोडी कुन्डल व नांक की नथुली डरा धमकाकर धारदार हथियार दिखाकर लूट कर ले जाने की सूचना के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 49/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चिलकाना श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 **शातिर लूटेरे अभियुक्त नदीम पुत्र सत्तार कुरैशी निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को टयूबवैल के पास आम के बाग में ग्राम नल्हेडा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से 4320/- रूपये मिले। गिरफ्तारी एंव बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैने और मेरे साथी ने दिनांक 4/5 मार्च 2025 की रात मे राजेन्द्र पुत्र मामचन्द के घर मे लूट की थी और वहां से एक लौंग व दो जोडी कानो के कुण्डल लूट लिये थे। जिनको हम दोनो ने सहारनपुर के एक व्यक्ति को 12000/- रूपये मे बेच दिया था जिससे मेरे हिस्से मे 6000/- रूपये आये थे जो रूपये मुझसे मिले हैं यह उन्ही रूपये मे से बचे रुपये हैं, बाकी पैसे मैने खाने पीने पर खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-:

नदीम पुत्र सत्तार कुरैशी निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त नदीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 165/11 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 306/11 धारा 110 जी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 245/16 धारा 3/5 सीएस एक्ट व 379/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 497/19 धारा 413/414/420 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 499/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 576/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 49/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

➢ कुल 4320/- रूपये

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:</u>

1 उ0नि0 श्री राज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 1053 कुलदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहानपुर।

दिनांक 11-05-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द साइबर हैल्प डैस्क टीम द्वारा आनलाइन साईबर फ्राड़ के माध्यम से ठगी गयी कुल 94,094/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस –

अवगत कराना है दिनांक 08.06.2024 को वादी श्रवण कुमार पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम फलौदा थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर हाल पता रेलवे रोड देवबन्द सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा रिश्तेदार बनकर धोखाधडी से कुल 94,094/- रूपये की धोखाधडी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर साइबर शिकायत संख्या - 33106240072980 दर्ज करायी थी। जिसमें साइबर हैल्प डैस्क की जांच के उपरान्त थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 489/2025 धारा 318(4) बीएनएस 66 डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व धोखाधडी कर ठगी की गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व मे थाना देवबन्द साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वादी की गई कुल 94,094/- रूपये की धनराशि स्टेट बैंक जयपुर (राजस्थान) के खाते में फ्रीज करायी गयी थी तथा आज दिनांक 11.05.2025 को साइबर हैल्प डैस्क टीम थाना देवबन्द द्वारा विधिक कार्यवाही के उपरान्त वादी श्रवण कुमार के खाते में कुल 94,094/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि वापस करायी गयी। पीडित के परिजन द्वारा थाना देवबन्द साईबर हैल्प डेस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हैल्प डैस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
2. स0उ0नि0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर